समाहरणालय, समस्तीपुर

(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

अल्पकालीन निविदा सूचना

सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 769 दिनांक 20.05.2015 के आलोक में सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के डाटा का डिजिटिलाइजेशन का कार्य ऑन लाईन ई--लाभार्थी साफ्टवेयर में किया जाना है। विभाग द्वारा प्रति इंट्री दर अधिकतम 5.00रू0 (पाँच रूपये) निर्धारित की गई है। जिला स्तर पर एन0आइ0सी0 समाहरणालय समस्तीपुर के सहयोग से डाटा के डिजिटिलाइजेशन का कार्य ससमय सम्पादित किया जायेंगा।

विभागीय निदेशालोक में उपरोक्त डाटा का डिजिटिलाइजेशन कार्य ससमय पूर्ण (25 जुन 2015 तक) करने हेतु निम्नलिखित शर्त्तों पर मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। डाटा का डिजिटिलाइजेशन हेतु इच्छुक भेंडर/फर्म अपना निविदा दिनांक 30.05..2015 को 03.00 बजे अपराह्न तक सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग समाहरणालय समस्तीपुर के प्रकोष्ठ में समर्पित कर सकते है। निविदा के रूप में तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा सभी कागजातों के साथ अलग–अलग शिल्ड लिफाफा में जमा करना होंगा। भेंडर से प्राप्त निविदाओं को दिनांक 30.05.2015 को 4.00 बजे अपराह्न में जिला क्रय समिति के समक्ष अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग समाहरणालय समस्तीपुर या उनके कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है तथा ऑन लाईन डाटा डिजिटिलाइजेशन हेतु विहित साफ्टवेयर एवं उससे संबंधित विहित प्रपत्र/पेंशन भुगतान पंजी आदि का नमूना देखा जा सकता है।

(क) तकनीकी निविदा की शर्त्तें

1. भेंडर/फर्म को बिहार वाणिज्य एवं आयकर विभाग से कम–से–कम तीन वर्षों से निबंधित होने का प्रमाण–पत्र तथा आयकर संख्या (PAN N0) देना होगा। विगत तीन वर्ष का अद्यतन Audit and Balance Sheet के साथ कम–से–कम एक वित्तिय वर्ष में 25,00,000.00 (पच्चीस लाख रूपये) Turn Over का Audit Report संलग्न करना होगा।
2. भेंडर/फर्म को सेवा कर एवं बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम (Bihar Shops and Establishment Act) के अंतर्गत निबंधित होने का प्रमाण–पत्र एवं कागज का नमूना भी संलग्न करना अनिवार्य है।
3. तकनीकी निविदा के साथ जिला पदाधिकारी समस्तीपुर के पक्ष में 25000.00 (पच्चीस हजार रूपये) मात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत बैंक ड्राफ्ट सुरक्षित राशि के रूप में जमा करना होगा।
4. आवंटित कार्य के Sub-Contracting की अनुमति किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। इस आशय का Under taking तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा तथा किसी भी समय Sub-Contracting यदि किया जाता है तो

जिला सुरक्षा विज्ञापन प्रकाशित

कार्यादेश वापस लेते हुए एवं जमा की गई जमानत राशि को जब्त करते हुए भेंडर/फर्म के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

5. संस्था को काली सूची में नाम दर्ज नहीं होने से संबंधित शपथ पत्र देना होगा।
6. निविदादाता को तकनीकी एवं उनके पास उपलब्ध संसाधनों का विवरण देना होगा।
7. निविदादाता को बिहार राज्य में बी0पी0एल0 एवं मनरेगा जैसे कार्यो का अनुभव होना चाहिए।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्तेः–

1. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता भेंडर/फर्म का ही वित्तीय निविदा संबंधी लिफाफा खोला जायेगा।
2. वित्तीय निविदा में सभी प्रकार के कार्यो का दर सभी करों सहित स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। वित्तीय निविदा में कम दर वाले लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी।
3. सफलतापूर्वक कार्य निष्पादन के उपरांत भुगतेय राशि पर सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार Vat एवं अन्य करों की कटौती की जायेगी।
4. निर्धारित समय सीमा पर कार्य पूर्ण नहीं होने पर प्रतिदिन बिलंब के लिए 1000.00 (एक हजार) रूपये की दर से संबंधित भेंडर/फर्म के विपत्र से कटौती की जायेगी तथा एक सप्ताह के उपरांत भी पूर्ण नहीं होने की स्थिति में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए जमा जमानत राशि जब्त कर फर्म को काली सूची में डाल दी जाएगी।
5. उपरोक्त शर्त्तो के अलावे समय–समय पर समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्धारित शर्त्तों/निदेशों का पालन करना होगा।

(ग) सामान्य शर्तेः–

1. निविदा संबंधित कार्यों का सभी करों सहित दर अलग–अलग उल्लेखित करना होगा।
2. ऑन लाईन डाटा डिजिटाइलेइजेशन एवं उनके सत्यापन हेतु मुद्रित प्रति के मिलान एवं अंतिम रूप से सत्यापन के पश्चात मुद्रित सत्यापित सामाग्री जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में हस्तगत करना अनिवार्य होंगा। डाटा सत्यापन हेतु कम–से–कम दो बार प्रिंट देना होगा, यदि आवश्यक हुआ दो से अधिक बार प्रिंट आउट देना होगा, उक्त प्रिंट आउट के लिए अलग से किसी भी प्रकार का कोई राशि देय नहीं होगा साथ ही कम्पुटर अधिष्ठापन आदि लिए किसी भी प्रकार का कोई भाड़ा देय नहीं होगा।
3. बगैर कोई कारण बताए निविदा को रद्द करने, संशोधित करने तथा कार्य की अधिकता के कारण समय से कार्य निष्पादन कराने हेतु कार्य का आवंटन एक से अधिक फर्म को करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा एवं किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
4. डाटा इंट्री का कार्य समाहरणालय समस्तीपुर स्थित किसी भी कार्यालय में संपादित करना होगा।

24/05/18

जिला पदाधिकारी,
समस्तीपुर।